Supply of Edible oil to M.P.

1158. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the estimated population of Madhya Pradesh is about six crores and whether it is also a fact that Madhya Pradesh is being supplied with only 2000 Metric Tonnes of edible oil per month for the last many months;

(b) if so, whether it is also a fact that the edible oil supply rate in Madhya Pradesh is only 32 gms. per person per month; and

(c) what are the reasons for supplying such a meagre quantity of edible oil to the consumers?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAO BIRENDRA SINGH): (a) to (c) Allocation of imported edible oil is to supplement the availability of indigenous oils and not to meet the entire demands of States/UTs. Allocation is made on a month to month basis taking into account the stock of imported oil with the Government, *inter-se* requirements of States/UTs, market availability and other related factors.

Details of allocation of imported edible oil made to Madhya Pradesh and the off-take by the State from September-90 to February 1991 are given below:

(Qty. in MTs)

Month	Allocation	Off-take
September, 90	5000	2500
October, 90	6000	3792
November, 90	4000	2750
December, 90	Due to inadequate stock no allocation was made to any State/UT during these months.	861
January, 91		1502
February, 91	2000	—

प्राकृतिक आपदाओं को कम करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय दशक

1159. कुमारी आलिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1990–2000 के दशक को "प्राकृतिक आपदाओं को कम करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय दशक" के रूप में मनाने का संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे खतरों को कम करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने का विचार रखती है; और

(घ) उड़ीसा जैसे बाढ़/तूफान प्रवण राज्यों के संबंध में बनाई जा रही कार्य-योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह): (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र की महा सभा ने अपने चवालीसवें सत्र में 22 दिसम्बर, 1989 को पारित संकल्प सं0 44/236 में यह घोषणा की कि 1990 का दशक (1990–2000) अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा राहत दशक होगा और इसके निम्नलिखित लक्ष्य होंगे:

(1) प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव तेजी से और प्रभावी रूप से कम करने के लिए हर देश की क्षमता को बेहतर बनाना, जरूरत पड़ने पर विकासशील देशों को शीघ्र चेतावनी देने की प्रणालियां स्थापित करने में मदद देने की ओर विशेष ध्यान देना ;

(2) राष्ट्रों की सांस्कृतिक तथा आर्थिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मौजूदा जानकारी को प्रयोग के लिए उचित दिशानिर्देश और कार्यनीतियां तैयार करना ;

(3) जानकारी के महत्वपूर्ण अंतर को समाप्त करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग प्रयास करना ताकि जान और माल की हानि कम हो सके;

(4) प्राकृतिक आपदाओं के मूल्यांकन पूर्व सूचना, निवारण और उनके प्रभाव कम करने के उपायों के बारे में मौजूदा तथा नई जानकारी का प्रचार करना ;

(5) विशेष आपदाओं और स्थानों के संबंध में तकनीकी सहायता और प्रौद्योगिकी के अंतरण प्रदर्शन परियोजनाओं तथा शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के जरिए प्राकृतिक आपदाओं के मूल्यांकन, पूर्व सूचना, निवारण और उनके प्रभावों को कम करने के लिए उपाय विकसित करना तथा उन कार्यक्रमों की प्रभाविकता का मूल्यांकन करना;

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा राहत दशक के दौरान कार्यकलापों में ताल-मेल बैठाने के लिए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ एक मुख्य-दल गठित किया गया है।

मध्य प्रदेश को आवश्यक वस्तुओं का आबंटन

1160. **श्री अजीत जोगी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण हेतु जनवरी, 1990 से 9 जनवरी, 1991 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश को कितनी-कितनी मात्रा में गेहूं, चीनी, खाद्य तेलों, चावल, मंदा तथा कपड़े का आबंटन किया गया था ;

(ख) क्या ये मदें मध्य प्रदेश की सरकार को उनकी मांग के अनुसार आवंटित की गई है ; यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए सरकार खाद्य तेलों के और अधिक कोटे के आबंटन का विचार रखती है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) आबंटन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई के लिए केन्द्रीय पूल से चावल, गेहूं और आयातित खाद्य तेलों का आबंटन, राज्यों से प्राप्त मांग, केन्द्रीय पूल में भंडार की स्थिति, बाजार में उपलब्धता, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पारस्परिक आवश्यकताओं, पहले उठाई गई मात्रा आदि को ध्यान में रखकर माह-दर-माह आधार पर किया जाता है।

मध्यप्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का आबंटन 1-10-1986 को अनुमानित आबादी के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह उपलब्धता के एक समान मानदण्ड पर किया जाता है। मध्य प्रदेश के लिए लवी चीनी का मासिक कोटा 25031 मी० टन है ।